वित्त मंत्री
भारत
FINANCE MINISTER
INDIA

3 फरवरी, 2004

प्रस्तावना

सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के हमारे सतत प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष 2003-2004 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली पुस्तिका तैयार की गई है।

मुझे इस पुस्तिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

(जसवंत सिंह)

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
1	15	1 अप्रैल, 2003 से अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को इसके अंतर्गत लाया जा सके और वर्ष 2003-04 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक चौथाई से अधिक को लाभान्वित किया जा सके। इस पर होने वाला अतिरिक्त बजटीय व्यय 507 करोड़ रुपए का होगा।	गरीबी की रेखा से नीचे अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। अतिरिक्त अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के क्रियान्वयन हेतु वांछित मार्गनिर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जा चुके है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कहा गया है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अतिरिक्त परिवारों की पहचान करें और उन्हें विशिष्ट राशन कार्ड जारी करें। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अतिरिक्त अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान और विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करने का कार्य पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अतिरिक्त परिवारों की पहचान का कार्य पूरा कर लिया है तथा पहचान किए गए 3.164 लाख परिवारों में से 2.728 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। केरल सरकार ने अनुमानित 1.192 लाख अतिरिक्त परिवारों में से पहचान किए गए 1.021 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने 1.826 लाख अतिरिक्त अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान कर ली है तथा अनुमानित 1.865 लाख अतिरिक्त अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों में से 1.811 लाख अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
2.	17	योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का प्रस्ताव किया गया है। यह गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी स्कीमों की जांच करेगी और उनके व्यावहारिक एकीकरण की सिफारिश करेगी।	दसवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के दौरान गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सरल और कारगर रूप देने की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो गयी है और जो शून्य आधारित बजट व्यवस्था के अन्तर्गत वार्षिक प्रक्रिया के रूप में जारी रही। इसके अलावा योजनाओं का एकीकरण विकेन्द्रित नियोजन को स्वीकार करने पर दिया जाएगा जैसाकि पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला नियोजन समिति के माध्यम से 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा अधिदेशित है। ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता के अधीन स्थापित पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारिता से सम्बद्ध राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिकार प्राप्त उप-समिति इस पहलू की पुनः जांच कर रही है। उक्त को देखते हुए गरीबी उन्मूलन योजनाओं को और सरल तथा कारगर बनाने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पृथक समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3.	19	वित्त मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि बुनियादी आधार संरचना विकास, जिसमें स्लमों का विकास, मल-जल निष्कासन प्रणाली लगाना और	(क) विश्व बैंक के तहत जल तथा सफाई कार्यक्रम और आगे वांछित सरकारी हस्तक्षेपों का अध्ययन कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आनी है, तथा

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		हरित क्षेत्र आवास परियोजनाएं होनी चाहिए, के लिए क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।	(ख) शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भी अपेक्षित अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेपों के स्वरूप पर विचार कर रहा है तथा इसके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।
4	23	खेल आधार सुविधाओं के विकास को सरकारी निजी संयुक्त कार्यों के सीधे ही निधिपोषण के जरिए अब सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में शीघ्र ही मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे।	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राज्य खेल अकादमी की योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका निधिपोषण संयुक्त रूप से केंद्र सरकार,राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा प्रायोजक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अक्तूबर, 2003 में यह योजना पहले ही परिचालित की जा चुकी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
5	30	सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को 2003-04 के दौरान समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1 रुपया (या 365 रुपए प्रतिवर्ष), पांच सदस्यों के परिवार के लिए 1.50 रुपए प्रतिदिन और सात सदस्यों के परिवार के लिए 2 रुपए प्रतिदिन का प्रीमियम अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 25,000 रुपए के कवर और आय के नुकसान के कारण यह प्रतिदिन 50 रुपए की दर से अधिकतम 15 दिनों की प्रतिपूर्ति की पात्रता प्रदान करेगी। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए यह स्कीम सुलभ कराने के लिए सरकार ने उनके वार्षिक प्रीमियम के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष अंशदान देने का निर्णय लिया है। पूरे विवरणों का शीघ्र ही प्रचार किया जाएगा। वर्ष 2003-04 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के कम से कम 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को कवच मुहैया कराया जाएगा।	बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से देश में एक नई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम प्रारम्भ की जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों के लिए चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 100 लाख परिवारों को कवर करने का लक्ष्य पहले ही तय कर दिया गया है। यह स्कीम दिनांक 14.7.2003 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी। स्तरीय अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स को बीमा कम्पनियों द्वारा नियत की गई दरों पर सेवा मुहैया कराने की सलाह देने का निर्णय लिया गया है। <u>इस स्कीम में निर्धारित उप-सीमाओं की एक वर्ष के बाद, इस अवधि में हासिल किए गए अनुभव के आधार पर समीक्षा की जाएगी।</u> **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
6	34	आयकर प्रयोजनार्थ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या ऐसे आश्रितों वाले व्यक्ति स्थायी शारीरिक असमर्थता के लिए 50,000 रुपए की कटौती और गंभीर रूप से विकलांगों के मामले में 75,000 रुपए की कटौती के पात्र होंगे।	वित्त विधेयक, 2003 के संगत उपबंधों के माध्यम से कार्रवाई की गयी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
7	35.	मैं श्रवण यंत्रों, बैसाखियों, व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, ट्राइसाइकिल, ब्रेलर्स और नकली अंगों पर सीमाशुल्क कम करके बिना किसी विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। उन्हें सीवीडी से छूट दी जाएगी और घरेलू विनिर्माताओं को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। मैं श्रवण यंत्रों और व्हील चेयर्स के पुर्जों पर बिना सीवीडी और	दिनांक 1.3.2003 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गयी। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		एसएडी के सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।	
8	36	सरकार ग्वालियर में एक पुनर्वास विज्ञान कालेज और अनेक प्रकार की अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अधिकारिता संस्थान की स्थापना करेगी।	**ग्वालियर में पुनर्वास विज्ञान महाविद्यालय की स्थापनाः-** महाविद्यालय का कार्य अस्थायी आवास किराए पर लेने के बाद वर्ष 2003-04 में आरम्भ हो जाएगा। तथापि, परियोजना वर्ष 2006-07 में पूरी होगी। **चेन्नई में विविध विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना**-योजना आयोग ने परियोजना के लिए अपना "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ईएफसी ज्ञापन को तैयार कर लिया गया है तथा इसे परिचालित भी कर दिया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन ई.एफ.सी. के अनुमोदन के पश्चात आरम्भ होगा। इस संस्थान के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
9	38	सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) सुविधा पुनर्बहाल करेगी ।	सरकार के दिनांक 13 मार्च, 2003 के आदेश द्वारा एल.टी.सी. की सुविधा पुनर्बहाल कर दी गयी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
10	40	उनका सेवानिवृत्ति का जीवन सम्मानजनक हो, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप 1.53 लाख रुपए तक की उनकी आय अब आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त होगी। पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसके बाद प्रभावी छूट सीमा वास्तव में मानक कटौती के कारण अधिक अर्थात् 1.83 लाख रुपए होगी। वह धारा 88 के अंतर्गत उपलब्ध कर छूट का फायदा उठाकर और राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उनके द्वारा अनुपालन की लागत कम करने के लिए, क्योंकि नौकरशाही के झंझट को कम करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, मैं ब्याज आय यूनिटों से आय और ऐसे अन्य स्रोतों की आय से स्रोत पर कोई कटौती न करने के संबंध में हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं।	वित्त विधेयक, 2003 के संगत उपबंधों के माध्यम से कार्रवाई पूरी कर ली गई है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
11	41	भारतीय जीवन बीमा निगम वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक एक विशेष पेंशन पालिसी शुरू करेगा जिसमें मासिक पेंशन स्कीम के रूप में 9 प्रतिशत के वार्षिक प्रतिलाभ की गारंटी होगी।	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 14 जुलाई, 2003 को शुरू किया गया है। इस योजना के लिए पात्रता आयु घटाकर 55 वर्ष कर दी गई है। यह स्कीम भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है और 9% प्रतिलाभ पर पेंशन की व्यवस्था करती है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
12	44	एक पुनर्गठित पेंशन स्कीम अब तैयार है। यह सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर सरकारी सेवा में आने वाले केवल नए व्यक्तियों पर ही लागू होगी और इसको अन्तिम	सरकार द्वारा एक नई पेंशन स्कीम को अधिसूचित किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		रूप दिए जाने पर यह अनेक पेंशन विकल्प प्रदान करेगी। यह स्वैच्छिक आधार पर सभी नियोजकों को उनके कर्मचारियों हेतु और स्व-नियोजित व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी।	
13	45	वित्त मंत्रालय एक नए एवं स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से पेंशन निधियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगा।	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी संकल्प को जारी कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
14	48 तथा 49	बजट 2003-04 में नवीन निधिकरण प्रणालियों के माध्यम से आधार संरचना, मुख्यतः सड़कों, रेलवे, विमानपत्तनों तथा समुद्रपत्तनों पर अधिक बल दिए जाने का प्रावधान है। इस व्यापक प्रयास में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया जाएगाः - 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 48 नई सड़क परियोजनाएं, जिनमें से एक चौथाई सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा; - 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना; - 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो विमानपत्तनों तथा दो समुद्रपत्तनों का नवीकरण/ आधुनिकीकरण; तथा - 1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो वैश्विक मानक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर्स की स्थापना। उपरोक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कोरीडोरों का निधिकरण डीजल तथा मोटर स्प्रिट पर 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगा कर किया जाएगा। इस उपकर से सड़क विकास के लिए 2,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त होगा।	राष्ट्रीय रेल विकास योजना में शामिल है : - स्वर्ण चतुर्भुज तथा इसके गलियारों का सुदृढ़ीकरण (8000 करोड़ रुपए) - पत्तनों तक रेल सुविधा मार्ग का सुदृढ़ीकरण और पृष्ठ प्रदेश के अनेक उद्देश्य वाले गलियारों का विकास (3500 करोड़ रुपए)। - चार बड़े पुलों-दो गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक कोसी नदी के ऊपर-का निर्माण (3500 करोड़ रुपए) एनआरवीवाई की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजनाओं के निष्पादन हेतु रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाले वाहक की स्थापना की गई है। यह निश्चित किया गया है कि आर वी एन एल को 3000 करोड़ रुपए की एक इक्विटी को सरकार रेल मंत्रालय को सामान्य बजटीय सहायता जिसमें विदेशी निधि पोषण के 1500 करोड़ रुपए शामिल हैं, के रूप में देगी। शेष 5000 करोड़ रुपए को आरवीएनएल द्वारा घरेलू बाजार तथा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधि पोषण अभिकरणों से जुटाया जाएगा। परियोजना निष्पादन के अलावा, आरवीएनएल बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय अभिकरणों, घरेलू/विदेशी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि के माध्यम से भी संसाधनों को जुटाएगा। वर्ष 2003-04 के दौरान आरवीएनएल को 28 परियोजनाओं के एवज में 730 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें वैदेशिक निधिपोषण के 230 करोड़ रुपए शामिल हैं। आरवीएनएल सार्वजनिक/निजी भागीदारी, घरेलू बाजार से निधिपोषण आदि के माध्यम से बैंक को स्वीकार्य पत्तन संयोजी परियोजनाओं का भी निष्पादन करेगा। उपर्युक्त तीन संघटकों के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की पहचान की गयी है तथा उन्हें रेल विकास निगम लि. को अंतरित कर दिया गया है। एनआरवीवाई परियोजनाओं को पाँच वर्षों में पूर्ण करने के समयावधि को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय की सलाह से अस्वीकृत परियोजनाओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के लिए एक विशेष प्रबंध किया गया है।
15	50	नई निधिकरण प्रणाली का मूल तत्व जहां भी संभव हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी	आर.वी.एन.एल की स्थापना स्वर्ण चतुर्भुज परियोजनाओं तथा पत्तन संयोजी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु की गई

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		धन बढ़ाना है। इस योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं : परियोजना के पूरा होने के संबंध में विशिष्ट तथा सुपरिभाषित उपलब्धियों से सम्बद्ध करने पर ही सरकारी निधियों को जारी किया जाए; निजी प्रवर्तकों तथा वित्तदाताओं के साथ जोखिमों की साझेदारी; लेकिन किसी भी स्तर पर असीमित सरकारी गारंटी न दी जाए।	है। पत्तन संयोजी परियोजनाओं को सार्वजनिक/निजी भागीदारियों के माध्यम से भी निष्पादित किया जा सकता है। सरकार ने हासन-मंगलौर गेज परिवर्तन (पत्तन संयोजी) परियोजना हेतु एक एस.पी.वी. गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। गांधीधाम पालनपुर गेज परिवर्तन (पत्तन संयोजी) परियोजना के निष्पादन हेतु कांडला पत्तन ट्रस्ट, मुंद्रा पत्तन लि., गुजरात सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
16	**51**	10,000 कि.मी. की कुल लंबाई वाली 48 नई सड़क परियोजनाओं (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को छोड़कर) को अभिज्ञात किया गया है जहाँ ट्रैफिक की अधिकता के कारण सड़क को चाल लेन वाली बनाया जाना न्यायसंगत है । इन परियोजनाओं को निर्माण-प्रचालन तथा-अंतरण (बीओटी) आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकार केवल प्रत्याशित राजस्व तथा ऋण पुनः अदायगी देयताओं के बीच की कमी को पूरा करने के लिए वार्षिकी प्राप्ति के रूप में सब्सिडी प्रदान करेगी । पहले वर्ष अर्थात 2003-04 के दौरान कम से कम 3,000 कि.मी. सड़कों, जो इन 48 परियोजनाओं के कुल मार्ग का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, को चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा ।	i 622 कि.मी (7 परियोजनाओं) हेतु निर्माण-प्रचालन तथा- अन्तरण (बीओटी) से सम्बद्ध बोलियां प्राप्त हो गयी हैं तथा शीघ्र ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। ii अन्य 1056 कि.मी. सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण होने को है और सिविल कार्यों को निष्पादित करने हेतु निविदाएं शीघ्र आमंत्रित किए जाने की सम्भावना है। iii अन्य 1700 कि.मी. हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ष 2003-04 में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा रही है।
17	**52**	रेल मंत्रालय ने स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की है। इनकी परियोजनाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 3,000 करोड़ रुपए की इक्विटी तथा 5,000 करोड़ रुपए के ऋणों के द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। यह एसपीवी बाजार से ऋण जुटाएगा। ऋण की वापसी अदायगी शोधन अवधि में रेलवे प्राप्तियों के निर्धारण द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित सुरक्षा उन्नयन कार्यक्रम को भी शुरु किया जाएगा।	रेल विकास निगम लि. (आर.वी.एन.एल.) का संस्थापन दिनांक 24 जनवरी, 2003 को किया गया था तथा इसने 18 फरवरी, 2003 से कार्य आंरभ किया। आर.वी.एन.एल.का गठन राष्ट्रीय रेल विकास योजना (आर.एन.वी.वाई) के अधीन विनियोजनीय परियोजनाओं के निष्पादन हेतु किया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान 730 करोड़ रुपयों का आवंटन आर.वी.एन.एल. को 28 परियोजनाओं के एवज में किया गया है। इसमें विदेशी निधिपोषण के 230 करोड़ रुपए शामिल है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
18	**53**	अब दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने के लिए भारत में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रधान केन्द्र के रूप में चलाने का निश्चय किया है। विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रारंभिक समान इक्विटी सहभागिता के साथ दो	कम्पनी रजिस्ट्रार ने दिल्ली तथा मुम्बई विमान पत्तनों के लिए स्थापित की जा रही दो कम्पनियों के लिए क्रमशः इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लि. दिल्ली तथा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लि. मुंबई का नाम आवंटित किया है। इसके अलावा दोनों कम्पनियों के लिए संस्था के

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		पृथक् कंपनियों का गठन किया जाएगा। ये दो कंपनियां संयुक्त उद्यम भागीदार भी ले सकती हैं। पूर्ण होने पर, प्रबंधन को पट्टे पर दे दिया जाएगा।	बहिर्नियम और अंतर्नियम तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संसद ने एक व्यापक एएआई (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित कर दिया है। उक्त विधेयक के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और यह 7 सितम्बर, 2003 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के अलावा, विमानपत्तनों को पट्टे पर देने के लिए समर्थकारी उपबंध शामिल है तथा इसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी के साथ ग्रीनफील्ड विमानपत्तन स्थापित करने के लिए भी उपबंध शामिल हैं। सरकार ने संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से दिल्ली तथा मुंबई विमानपत्तनों की पुनर्संरचना को अनुमोदित कर दिया है। संयुक्त उद्यम भागीदार (रों) के चयन के विस्तृत तौर-तरीके को निश्चित करने हेतु मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) को भी गठित किया गया है। इन दो विमान-पत्तनों के संयुक्त भागीदार (रों) के चयन हेतु एक अस्थायी समय-सारणी को भी निर्धारित किया गया है। पुनर्संरचना प्रक्रिया पर सरकार को सलाह देने के लिए वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की गई है।
19	**54**	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), नवी मुम्बई और कोचीन पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित करने हेतु इनके संबंध में व्यापक आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने का प्रस्ताव है। जेएनपीटी तथा कोचीन पत्तनों का तलकर्षण तथा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं की लागत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। दो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों तथा तलकर्षण और आधुनिकीकरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्राप्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से ऋणशोधन दायित्वों को पूरा करने की आशा है। यहां सरकार किसी भी संभाव्य गिरावट को पूरा करने हेतु केवल व्यवहार्य पूरक निधि ही उपलब्ध कराएगी।	**<u>जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास</u>** i) पत्तन संयोजी (क) सड़क द्वाराः- चरण 1-10 जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार 55% कार्य हो गया है। (ख) रेल द्वाराः- ट्रैक को दोहरा करने का कार्य दिसंबर, 2003 में प्रारंभ हुआ। ii) चरण 2 में-मार्च, 2004 में कार्य आवंटित किया जाएगा। iii) 900 करोड़ रु. की लागत वाले बीओटी आधार पर बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल में पुनर्विकसित करनाः- बोलियाँ प्राप्त कर ली गई हैं तथा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। लाइसैंस करारों पर मार्च, 2004 तक हस्ताक्षर होने का अनुमान है। iv) वर्तमान मुंबई बंदरगाह तथा जवाहरलाल नेहरू पत्तन मार्ग को गहरा तथा चौड़ा करनाः- सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। v) अतिरिक्त मशीनरी, उपस्कर तथा पत्तन क्राफ्टों का नियोजनः- उपस्कर के भाग के लिए आदेश दे दिए गए हैं जिसकी जून तथा सितंबर, 2004 तक डिलीवरी होने का अनुमान है। शेष उपस्कर के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। **कोचीन पत्तन** i) अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल-संशोधित प्रस्ताव पर आधारित नई बोली प्रक्रिया चालू है। ii) अंतर्राष्ट्रीय बंकरिंग टर्मिनल-पुनः बोली के लिए निविदाएँ मांगी जा रही हैं। iii) अन्तर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड-लगाए गए ब्याज तथा उससे सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं की जनवरी, 2004 में संवीक्षा की जानी है।

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
			पूंजी व्यवस्था योजना आयोग को "सिद्धान्तः" अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उसके बाद सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
20	**55**	देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कन्वेंशन सेंटरों के अभाव को दूर करने के लिए, सरकार निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे दो केन्द्रों की स्थापना करेगी। इसमें सरकार केवल व्यवहार्य पूरक निधि प्रदान करेगी।	राज्य सरकारों से इस परियोजना के लिए सहायता विनिर्दिष्ट करने का अनुरोध किया गया था। असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने भी दिल्ली और मुंबई में कन्वेंशन सेंटरों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इस प्रयोजनार्थ एक अन्तः मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया है। पर्यटन विभाग अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क वाले राज्यों में एक व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन शुरु करवा रहा है।
21	**56**	48 सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय रेल विकास योजना, दो विमानपत्तन, दो समुद्रीपत्तन और दो कन्वेंशन सेंटरों के संबंध में सरकार की ओर से प्रारंभिक अंशदान के रूप में 2,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्राप्ति आधार पर, इन सभी परियोजनाओं के संबंध में औसत वार्षिक वचनबद्धता व्यवहार्य पूरक निधि पोषण आधार के तहत मध्यकालिक रूप में लगभग 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान है जिसकी पूर्ति रेलवे तथा सरकार के बजटों से वार्षिक तौर पर की जाएगी।	विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए मुहैया कराए गए 2000 करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को प्रदान किए गए हैं। यह राशि आरवीएनएल के लिए प्राप्त किए गए 230 करोड़ रुपए के विदेशी वित्तपोषण के अतिरिक्त है। इन राशियों से चालू वित्तीय वर्ष में उन 28 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा जो पहले ही आरवीएनएल को अन्तरित की जा चुकी हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
22	**57**	वर्ष 2003-04 के लिए डीजल पर मौजूदा उपकर से प्रत्याशित 2,325 करोड़ रुपए आवंटित करने के अलावा, ग्रामीण सड़कों के लिए डीजल पर प्रस्तावित 50 पैसे के अतिरिक्त उपकर से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।	एचएसडी और पेट्रोल पर लगे उपकर को 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है जिससे केन्द्रीय सड़क निधि में 2600 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। 2325 करोड़ रुपए के प्रावधान के अलावा, इस अतिरिक्त डीज़ल उपकर का 50 प्रतिशत हिस्सा भी ग्रामीण सड़कों के लिए उपलब्ध होगा। अतिरिक्त बजट प्रावधान करके और/अथवा विदेशी अभिकरणों से उधार लेकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से लगभग 700 मिलियन डालर की पहली श्रृंखला की स्वीकृति भी प्राप्त होने की संभावना है।
23	**59**	सरकार ने 1999 में 18 विद्युत परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया था जिन्हें अनेक शुल्क व लाईसेंसिंग लाभ दिये थे। सरकार अब किसी भी विद्युत परियोजना को, जो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, ये सभी लाभ प्रदान करते हुए बड़ी विद्युत परियोजना नीति को और उदार बनाने का प्रस्ताव करती है।	विद्युत मंत्रालय ने चार और एनटीपीसी परियोजनाओं अर्थात् सीपत, रिहन्द, तलचर और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं को इस आशय के प्रमाणपत्र जारी कर दिए हैं कि ये परियोजनाएं भी बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
24	64	सरकार बड़े खर्च करने वाले कुछ मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर वर्ष के भीतर उपलब्ध संसाधनों के साथ समाभिरूपता की अनुमति देते हुए सम्यबद्ध रुप से बजटीय आवंटन जारी करते हुए नकदी प्रबंध की शुरूआत करने का प्रस्ताव करती है। मंत्रालयों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर मासिक अथवा त्रैमासिक नकदी सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इससे प्राप्तियों और व्यय की बेमेलता से बचा जा सकेगा और व्यय की अधिकता तथा अंतिम तिमाही में संसाधनों के संभावित अपव्यय से बचा जा सकेगा।	नौ विभागों अर्थात् कृषि एवं सहकारिता, उर्वरक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास के संबंध में नकदी प्रबंधन प्रणाली शुरु कर दी गई है। त्रैमासिक नकदी सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
25	66	सरकार ने विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के कुल लगभग 3 बिलियन डालर की उच्च लागत के मुद्रा पूल ऋणों का समय से पहले भुगतान कर दिया है। हमारा इरादा विदेशी देनदारियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की नीति को जारी रखने और अपने विदेशी ऋण पोर्टफोलियो के अपेक्षतया उच्च लागत के हिस्से को सक्रिय रूप से समाप्त करने का है।	उच्च लागत के समझे जाने वाले 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के आईबीआरडी मुद्रा पूल ऋणों की पूर्व-अदायगी 14 नवम्बर, 2003 को कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
26	67	गत समय की उच्च ब्याज संरचना के अंतर्गत संविदा किएगए केंद्रीय सरकार के घरेलू ऋण की बैंक धारिता के एक बड़े हिस्से का लेन-देन बहुत कम होता है। ब्याज दरों के उदार होने के साथ साधारणतया ऐसे ऋण उनके अंकित मूल्य की तुलना में प्रीमियम पर होने चाहिए। वास्तव में बैंक सीमित नकदीकरण के कारण इसे भुनाने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। इसलिए सरकार अब उन बैंकों से जिन्हें नकदी की अथवा अपने तुलन पत्र में सुधार करने के लिए अपनी गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु प्रीमियम का नकदीकरण करने की आवश्यकता है, संपूर्ण रूप से स्वैच्छिक आधार पर ऐसे ऋणों को वापस खरीदने का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित प्रीमियम पारदर्शी आधार पर तय किया जाएगा। यदि बैंक आयकर के प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रीमियम को व्यवसाय आय घोषित करते हैं तो उन्हें उस सीमा तक अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी जहां तक ऐसी आय उनकी गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की व्यवस्था के लिए प्रयोग की गई हो।	वापसी-खरीद (बाय-बैक) योजना के ब्यौरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया था। तद्नुसार सापेक्ष रुप से 19 हाई कूपन अनकदी सरकारी प्रतिभूतियों की पुनःखरीद तथा चार प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनःबिक्री) के लिए 22 जुलाई, 2003 को अधिसूचनाएं जारी की गई। केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई, 2003 को आयोजित की गई बहु-सुरक्षा, अनुवीक्षण आधारित नीलामी के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 14434 करोड़ रुपए मूल्य की 19 हाई कूपन अनकदी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की 131 पेशकशों को स्वीकृत किया। सहभागी बैंकों को प्राप्त प्रीमियम पर आय कर के प्रयोजनों से, उस हद तक जहां तक यह प्रीमियम उनकी गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी गई है। "वापसी-खरीद" की दर अनुवीक्षण आधारित नीलामी के माध्यम से तय की गई थी। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
27	69 तथा 70	भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण अदला-बदली योजना राज्यों को उच्च लागत के ऋणों की समय पूर्व अदायगी में समर्थ बनाएगी और इनके स्थान पर चालू न्यून-कूपन वाले लघु बचत तथा खुले बाजार के ऋण लाये जायेंगे। अट्ठाईस राज्यों में से छब्बीस राज्यों ने चालू वर्ष से ही इस योजना में भाग लेने की सहमति दी है जबकि शेष दो राज्य 2003-04 से इसमें शामिल होंगे।	चालू वर्ष (2003-04) के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत, लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बाजार उधारों के अलावा, राज्यों को देय निवल लघु बचत ऋणों के 30% हिस्से की ऋण अदला-बदली किए जाने की परिकल्पना की गई थी। राज्य सरकारों की ओर से दिनांक 6.1.04 तक, 22,089 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खुले बाजार उधार और दिनांक 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, लघु बचतों से जुटाए गए अन्य 13,964 करोड़ रुपए को ऋण की अदला-बदली की योजना के तहत, केन्द्र को देय राज्यों के ऊंची लागत के

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		वर्ष 2004-05 में समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि में राज्यों द्वारा भारत सरकार से लिए गए 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर वाले सभी ऋणों की अदला-बदली हो जाएगी । इसके परिणामस्वरूप, ऋणों की शेष परिपक्वता अवधि में राज्य ब्याज और आस्थगित ऋण वापसी-अदायगियों मे अनुमानतः कम से कम 81,000 करोड़ रुपए बचाएंगें। इसके अलावा, अल्प बचत योजना के माध्यम से राज्यों में ऋणों की बढ़ोतरी रोकेगी।	ऋण से बदल दिया गया है। ऋण की अदला-बदली हेतु इस्तेमाल किए जाने के लिए जल्द ही 6000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खुले बाजार उधार जुटाए जाने की संभावना है। यथापरिकल्पित योजना को अगले वित्तीय वर्ष में पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
28	**73.**	यह प्रस्ताव है कि हाई-टेक बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाली खेती बाड़ी के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम शुरू की जाए। उर्वरता, जैव-प्रौद्योगिकीय औजारों का प्रयोग, हरित खाद्य उत्पादन और हाई-टेक ग्रीन हाउस जैसे हाई-टेक प्रयोग इस स्कीम के प्रमुख संघटक होंगे। इन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन सहित भूमि, जल, सूर्य की रोशनी, समय जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग वाली अच्छे परिणाम देने वाली कृषि प्रौद्योगिकी को लागू करना इस योजना का भाग होगा। प्रारंभ में इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जा रही है।	उच्च प्रौद्योगिकी वाली बागवानी और "प्रीसिज़न फार्मिंग" से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को योजना-आयोग ने "सिद्धान्त रूप में" मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परियोजना पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
29	**74**	खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करेंगे और इस महत्वपूर्ण कृषि-उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम का शीघ्र प्रस्ताव करेंगे।	सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सचिवों को एक अन्त मंत्रालयीन समूह का गठन चीनी उद्योग की समस्याओं पर गौर करने तथा सरकार के विचारार्थ समाधानों का एक पैकेज प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। इस समूह ने सरकार को अपनी रिर्पोट जुलाई, 2003 में प्रस्तुत की। समिति की अधिकांश सिफारिशों को पहले ही खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
30	**76**	सरकार ने चाय, काफी और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की मूल्य स्थिरीकरण निधि की घोषणा की है। यह निधि वर्ष 2003-04 में शुरू हो जाएगी। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना की स्थापना को अनुमोदित कर दिया गया है।	सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना को स्वीकृत कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गयी- 1) मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प तथा मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के कार्यान्वयन को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। 2) न्यास विलेख को पंजीकृत कर दिया है। 3) पीएसएफ योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की पहली श्रृंखला में से 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 4) पीएसएफ योजना के सीईओ को नियुक्त किया गया है। 5) इस योजना में भाग लेने के इच्छुक उत्पादकों के नामांकन प्रपत्रों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। 6) सहभागी बैंकों को दिशा निर्देश जारी दिए गए हैं।

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
			7) लेखा महानियंत्रक से परामर्श कर मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
31	**77**	चाय पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त किया जाएगा तथा इसकी जगह चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास हेतु 1 रुपया प्रति कि. ग्रा. उपकर लगाकर एक पृथक निधि की स्थापना की जाएगी, इसके अतिरिक्त अब से कॉफी बागान चाय की तरह ही विकास खाते में जमा राशियों पर आय कर से छूट के पात्र होंगे।	वाणिज्य विभाग ने चाय बोर्ड, चाय उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ व्यवहार्य योजनाओं की पहचान हेतु बातचीत प्रारम्भ की है। ये योजनाएं सृजित की जा रही निधि से भारतीय चाय उद्योग के दीर्घकालीन विकास को निर्धारित करेंगी। निधि से वित्त पोषित की जाने वाली विस्तृत योजनाओं की पहचान भी कर ली गयी है। एकल स्कीम के रूप में व्यय वित्त समिति की स्वीकृति हेतु विभिन्न योजनाओं पर कार्रवाई चल रही है।
32	**79**	भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकशील मानदंडों व अनुमोदनों की शर्त के अधीन खेती व खेती-भिन्न दोनों क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अब से निजी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण केन्द्रों में और अधिक शाखाएं खोलने की सलाह दी है। बैंक और अधिक ग्रामीण शाखाएं खोलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं।
33	**79**	डाकखानों के माध्यम सहित कृषि ऋण देने के अधिकार के पूरे प्रश्न की नए सिरे से जांच भी की जाएगी।	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब ग्रामीण लोगों को ऋण के संवितरण हेतु डाकखानों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने के लिए, नाबार्ड ने स्व-सहायता समूह-डाकघर संयोजन (लिंकेज) कार्यक्रम नामक एक योजना तैयार की है। योजना के अनुसार, कांचीपुरम तथा पुड्डुकोट्टाई जिलों में स्थित स्व-सहायता समूह-डाकघर संयोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठन डाकघरों के साथ मिलकर 200 स्व-सहायता समूहों के संयोजन को सुगम बनाएंगे। चयनित डाकखानों द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रदान किया गया मियादी ऋण 24 माह की अवधि के भीतर देय होगा जिसकी ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक होगी। डाकघर वसूली तथा नियमित मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी होंगे। नाबार्ड तथा डाक विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। चूंकि भारतीय डाक अधिनियम अन्य संस्थाओं से निधि उधार लेने की अनुमति नहीं देता, इसलिए डाक विभाग में उपयुक्त माध्यमों से निधियों का संग्रहण करना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य हेतु डाक विभाग को पहले ही दिनांक 27.12.03 को 34 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।
34	**80**	कृषि और लघु उद्यग क्षेत्र को न्यून ब्याज दरों का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिभूतित अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर में 2 प्रतिशतम न्यूनाधिक की ब्याज दर समूह की घोषणा की है। भारतीय बैंक संघ अब अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दे रहा है कि इसी तरह की ब्याज दर संरचना अपनाएं। इसके पश्चात कृषि और लघु उद्योग को सर्वोत्तम बैंक के ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त 2 प्रतिशतांक से अधिक भुगतान नहीं करना होगा।	भारतीय बैंक संघ ने 5 मार्च, 2003 को सदस्य बैंकों को सलाह दी है कि वे कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों में प्रतिभूतिकृत अग्रिमों के लिए पी.एल.आर. से 2 प्रतिशत न्यूनाधिक ब्याज दर समूह को अपनाएं। भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए 9% से अधिक ब्याज नहीं लेने की भी सलाह दी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
35	83	आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सदस्य के रूप में दूसरे राज्य के कृषि मंत्री, के साथ एक द्विदलीय कार्यदल गठित किया जाएगा, जो पहले ड्रीप सिंचाई के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करेगा और बाद में सुरक्षा उपाय भी सुझाएगा ताकि वांछित लाभ वास्तव में लक्षित समूह तक पहुंच सकें।	वित्त मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल के अध्यक्ष द्वारा एक कार्ययोजना का अन्तिम रूप दिया जा चुका है। रिपोर्ट को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा इसे सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
36	85	नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक कार्यदल की नियुक्ति की है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के स्थानान्तरण और शीघ्र कार्यान्वित किए जा सकने वाले प्राथमिकता संपर्कों का पता लगाने तथा साथ ही उनकी स्वीकृति और निधिपोषण के लिए कार्यप्रणालियों पर राज्यों के बीच सहमति कराने के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देगा। इस कार्यदल की सहायता के लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था की गई है।	सरकार ने इस कार्यदल को सहायता प्रदान करने हेतु 4.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। कार्यदल ने जल संसाधन मंत्रालय को कार्य योजना-I तथा कार्य योजना-II के प्रारंभिक दस्तावेज क्रमशः अप्रैल, 2003 तथा अगस्त, 2003 में प्रस्तुत कर दिए हैं जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण करने की समय अनुसूचियों की रूपरेखा अनुमानित लागत, कार्यान्वयन अनुसूची ठोस लाभों तथा परियोजना के लाभ, परियोजना के निधि पोषण तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एवजी विकल्प तथा साथ ही लागत वसूली हेतु प्रस्तावित तरीकों का उल्लेख है। कार्य योजना-II से सम्बद्ध अन्तिम दस्तावेज कार्यदल द्वारा अप्रैल, 2004 को प्रस्तुत किया जाएगा।
37	86	राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में एक विशेष कार्यक्रम मरु-गोचर योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली के लिए तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रत्येक अभिज्ञात जिले में कम से कम एक वृहद् चरागाह नर्सरी विकसित करके पारम्परिक चरागाह "ओरान" अथवा "गोचर" की पुनःस्थापना का प्रावधान करेगा। इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यपद्धतियां तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ तीन वर्षों की अवधि में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जिसमें राज्य सरकार का अंशदान मात्र एक-चौथाई होगा। वर्ष 2003-2004 के लिए इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।	राजस्थान के 10 मरूस्थलीय जिलों में 40 प्रायोगिक परियोजनाओं के अनुमोदन के साथ मरू-गोचर योजना (एमजीवाई) का कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए 371.92 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 278.94 लाख रूपए का केन्द्रीय अंश राजस्थान सरकार को विमोचित कर दिया गया है। कार्यदल ने जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के 30 स्थानों के लिए भी परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभाओं के परामर्श से परियोजना अवस्थितियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम में तेजी आ रही है और वर्ष 2004-05 के दौरान इसका कार्यान्वयन त्वरित किया जाएगा। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
38	91	स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण के लिए चालू सत्र में प्रतिभूति नियंत्रण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा।	स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासन को स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण तथा पृथक्करण के माध्यम से सशक्त करने हेतु दिनांक 18 अगस्त, 2003 को लोक सभा में, प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसे वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को जांच हेतु भेज दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
39	94	विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की कार्याविधि को सरल बनाया जाएगा जिससे कि जॉब कामगारों को केन्द्रीय उत्पाद	विक्रेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2000 के नियम 12(ख) की प्रविष्टि कर सरलीकृत कार्यविधि

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		रिकॉर्डों के रखरखाव अथवा केन्द्रीय उत्पाद पंजीकरण से भी छूट प्राप्त हो।	विहित की गई है। इस नियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वस्त्र क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी जैसे बुनकरों तथा प्रोसेसरों, दर्जियों इत्यादि को अपने विकल्प पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण, शुल्क भुगतान तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकार्डों के रखरखाव से छूट प्राप्त है, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति के विनिर्माण कार्य को फुटकर कार्य आधार पर करते हैं तथा यदि उक्त व्यक्ति (जो अपना कार्य फुटकर कार्य आधार पर करवाता है) इन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेवारी लेता है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
40	**96, 97, 98 और 99**	"आधुनिकीकरण हेतु पावरलूम पैकेज" प्रदान करके बुनाई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कर मौजूदा कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस पैकेज की निम्नलिखित तीन विशेषताएं होगी।	हथकरघा पैकेज की विशिष्टताओं एवं रूपात्मकताओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों, राज्य हथकरघा विकास निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा हथकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के साथ परामर्श किये गये हैं।
		(i) पावरलूमों के आधुनिकीकरण को शामिल करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को विस्तृत किया जाएगा।	(i) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कपड़ा आयुक्त, मुम्बई को निधियां जारी करने के लिए आवश्यक अनुदेश भी जारी किए गए हैं। पावरलूम यूनिटों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के विस्तार के लिए 60 लाख रूपए तक की आधुनिक बुनाई और प्रारंभिक मशीनरी की लागत के 20% क्रेडिट सहबद्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त विकल्प सहित अनुमोदन भी दिया गया है।
		(ii) बेहतर-कार्य दशाएं सृजित करने तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सहित राज्य सरकारों के सहयोग से एक नई पावरलूम वर्कशेड स्कीम प्रारंभ की जाएगी। मौजूदा पावरलूम समूहों के अन्य ढांचागत सुधार को संशोधित वस्त्र उद्योग क्षेत्र ढांचागत विकास स्कीम के अन्तर्गत चलाया जाएगा।	(ii) कपड़ा आयुक्त मुम्बई को योजना संचालित/क्रियान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दसवीं योजना के दौरान पन्द्रह पावरलूम पार्कों के तैयार होने की उम्मीद है, जिनमें चार का कार्य वर्तमान वर्ष के दौरान शुरू हो जाएगा।
		(iii) कल्याण उपाय के तौर पर, सभी पावरलूम कामगारों को विशेष बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा जो उन्हें मृत्यु, दुर्घटना तथा अपंगता की स्थिति में बीमा कवच प्रदान करेगी।	(iii) दसवीं योजना के अंत तक एक लाख हथकरघा कामगारों को शामिल करने के लिए 1.73 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना आरम्भ हो गयी है। कपड़ा आयुक्त को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसने योजना का संचालन आरम्भ कर दिया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
41	**100**	वस्त्र उद्योग में रुग्णता को रोकने की आवश्यकता को महत्व देते हुए, सरकार व्यवहार्य तथा संभाव्य रूप से जीवक्षम वस्त्र इकाइयों के ऋण-पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना हेतु एक कार्यप्रणाली पर विचार कर रही है। इसके ब्यौरे सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे।	वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) ने जीवक्षम और संभाव्य रूप से जीवक्षम कपड़ा इकाईयों के ऋण पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना हेतु प्रक्रम की घोषणा की है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
42	**114**	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त हामीदारी सहायता	व्यय विभाग तथा योजना आयोग के साथ परामर्श के पश्चात, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) के

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		उपलब्ध कराने में सक्षम बनानेत हेतु सरकार ने अपनी शेयर पूंजी बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है।	नोडल प्राधिकरण के रूप में वाणिज्य मंत्रालय निगम के इक्विटी आधार को 800 करोड़ रुपए के स्तर तक बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
43	115	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल में की गई घोषणा तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रतिभूत अग्रिमों के संबंध में पी.एल.आर. के 2 प्रतिशत न्यूनाधिक ब्याज दर के बारे में लिये गए निर्णय से लघु उद्योग को ब्याज की आसान दरों पर बैंक से वित्त प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र को उपलब्ध लाभ तथा हकदारी मंत्रालय के वेबसाइट पर तुरंत संदर्भ हेतु प्रदर्शित की जाएगी।	भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने 5 मार्च, 2003 को अपने सभी सदस्य बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई है कि भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय की तर्ज पर वे भी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ब्याज दर निर्धारित करें । इस सबंध में सभी 27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं । इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध लाभों तथा पात्रताओं को पहले ही मंत्रालय की वैबसाइट में डाल दिया गया है। [http://www.laghu-udyog.com] **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
44	116	आरक्षित सूची में अन्य कतिपय मदों के संबध में पणधारियों से परामर्श करने के बाद प्रयोगशाला रसायनों तथा रीजेन्टों, चर्म तथा चर्म उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों और कागज उत्पादों की अन्य 75 मदों के संबंध में लघु उद्योग आरक्षण वापस लेने का प्रस्ताव है। लघु उद्योग मंत्री इन वस्तुओं का ब्यौरा अलग से घोषित करेंगे। लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश को और सहायता प्रदान करने हेतु सरकार सीमित साझेदारी अधिनियम के प्रश्न पर जांच-पड़ताल करेगी।	75 मदों को अनारक्षित करने के लिए राजपत्र कार्रवाई अधिसूचना संख्या एस.ओ. 649 (अ) दिनांक 3 जून, 2003 को जारी की गई है । **कार्रवाई पूरी हो गयी है।** जहां तक सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम का सम्बन्ध है, कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर संसद के समक्ष विचार हेतु संशोधनों का विस्तृत सेट प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। सीमित दायित्व साझेदारी को सक्षम बनाने सम्बन्धी उपबन्ध इन संशोधनों का एक भाग होंगे जो लघु उद्योग क्षेत्र की संस्थाओं को ध्यान में रखेंगें।
45	117	"भारत विकास पहल" नामक एक पहल भारत को उत्पादन केन्द्र तथा निवेश गंतव्य दोनों के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय में वर्ष 2003-2004 में 200 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ संस्थापित की जाएगी। यह पहल विदेश में हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को भी बढ़ाएगी तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करेगी।	"भारत विकास पहल" की संस्थापना हो चुकी है। इस पहल के अंतर्गत कुछ योजनाएं जैसे अन्य देशों को ऋण श्रृंखला के विस्तार के लिए आयात-निर्यात बैंक को ब्याज-समकरण सहायता प्रदान करना और भारत के आर्थिक तथा वित्तीय हितों के संवर्धन के लिए मीडिया अभियान पहले ही प्रचालन में हैं। योजना के कुछ अन्य पैरामीटरों को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से संपुष्ट किया जा रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
46	118	चालू वर्ष में विनिवेश प्राप्तियों के 3360 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विनिवेश की गति आगामी वर्ष में तेज होगी। पहले से घोषित पश्च निवेश अवशिष्ट शेयर धारण करने के लिए विनिवेश निधि तथा परिसंपत्ति प्रबंधन समिति के ब्यौरों को वर्ष 2003-2004 के प्रारंभ में अंतिम रूप दिया जाएगा।	**विनिवेश प्राप्तियां** (क) सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2003-04 (30 नवम्बर, 2003 तक) के दौरान विनिवेश से प्राप्तियों को कुल राशि 1335.41 करोड़ रुपए है। तेल क्षेत्र के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-एचपीसीएल तथा बीपीसीएल का विनिवेश सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण रोक दिया गया था कि संसद के अधिनियमों के माध्यम से उपार्जित कम्पनियों का विनिवेश बिना संसदीय अनुमोदन के नहीं किया जा सकता और इससे वर्ष के दौरान विनिवेश प्राप्तियों पर अत्यधिक

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
			प्रभाव पड़ा है। सामरिक बिक्री के माध्यम से आगे का विनिवेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे न्यायिक मामलों के परिणामों पर निर्भर करता है। तथापि, सरकार वर्ष के शेष भाग के दौरान घरेलू बाजार में सीएमसी, आईपीसीएल, आईबीपी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, ओएनजीसी तथा गेल के मामले में छः सार्वजनिक प्रस्ताव करने जा रही है जो चालू वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इनमें विनिवेशित कम्पनियों में अवशिष्ट शेयरों के साथ-साथ अन्यों में अल्पसंख्यक शेयर शामिल हैं। **विनिवेश आय निधि** (ख) निधि को स्थापित करने के लिए रुपात्मकताओं का आकलन किया गया है। इस निधि के 1 जुलाई, 2004 से प्रचालन में आ जाने की आशा है। **आस्ति प्रबंधन कम्पनी** (ग) यूटीआई-II को इस प्रयोजनार्थ समुचित आस्ति प्रबंधन कम्पनी के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सरकार प्रचालनात्मक ब्यौरों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर रही है।
47	**119**	भारत में बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस समय स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। विदेशी बैंकों द्वारा सहायक बैंकों की स्थापना को सुगम बनाने तथा निजी बैंकों में निवेश आमंत्रित करने हेतु इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 74 प्रतिशत किया जाएगा।	निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कम से कम 74% करने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में आवश्यक परिवर्तनों को अधिसूचित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अग्रेषित कर दी गई है।
48	**120**	किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के मतदान अधिकार, भले ही उसकी शेयरधारिता कुछ भी हो, 10 प्रतिशत तक सीमित है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 में इस सीमा को हटाने के लिए संशोधन किया जाएगा।	विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
49	**122**	क्रेडिट सूचना ब्यूरो की स्थापना हो चुकी है। इस ब्यूरो को आवश्यक विधायी समर्थन देने का प्रस्ताव है।	अनुवर्ती विधायी कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
50	**123**	यह महत्वपूर्ण है कि लोक भविष्य निधि और अन्य लघु बचत योजनाओं पर प्रशासित ब्याज दरें बाजार दरों के अनुरूप समायोजित की जाएं। तद्नुसार, लोक भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं आदि पर ब्याज की दरें 1 मार्च से एक प्रतिशतांक कम की जाएंगी। राहत और बचत बांडों पर भी ब्याज को तद्नुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा।	लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 1 मार्च, 2003 से 1 प्रतिशत कम कर दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा, सामान्य भविष्य निधि सहित ऋण और अग्रिमों पर ब्याज दरें 1 अप्रैल, 2003 से घटा दी गई हैं। जहां तक राहत और बचत बांडों पर ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण का संबंध है, सरकार ने 28 फरवरी, 2003 को कारोबार समाप्त होने के समय से राहत बाण्ड योजना बंद कर दी है। सरकार ने 24.03.2003 और 21.04.2003 से क्रमशः दो योजनाएं अर्थात् 6.5 प्रतिशत बचत बाण्ड, 2003 (कर-भिन्न) और 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बाण्ड, 2003 अधिसूचित की हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
51	124	क. विविधीकरण समर्थ बनाने के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन समुद्रपारीय निवेश की अनुमति उन्हीं कारपोरेट को दी जाएगी, जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा हो, भले ही निवेश उसी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में न हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंपनी की निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसे निवेश को सीमित करने के वर्तमान प्रतिबंध के स्थान पर इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।	क. 100 मिलियन अमरीकी डालर तक निवेश का स्वचालित मार्ग अब प्रमाणित क्षमता वाली भारतीय कंपनियों को विदेशी संयुक्त उद्यमों (जेवीएस) या पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों (डब्ल्यू.ओ.एस) में निवेश के लिए उपलब्ध होगा भले ही जहां निवेश उसी केन्द्रीय क्रियाकलाप में न हो, जिसमें वे संलिप्त हैं। उन्हें ऐसे उद्यमों में उनकी निवल सम्पत्ति का 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति भी दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र जारी हो गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		ख. 100 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान उच्चतम सीमा हटाकर स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधारों की बकाया राशि के पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी।	ख. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों को आवश्यक प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये छूटें 1.3.2003 से लागू हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
52	125	सरकार विदेशी संस्थात्मक निवेशकों द्वारा निवेश की क्षेत्रकीय सीमाओं की वृहद् समीक्षा करने पर विचार कर रही है। शेयर बाजारों में उनके सुगमतापूर्वक प्रवेश के लिए उनके पंजीकरण की प्रक्रिया और सरल तथा कारगर बनाई जाएगी। पूंजी के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। इस संबंध में और पहलें की जाएंगी।	विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्त मंत्रालय, सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों से बने कार्यकारी समूह द्वारा यथा अनुशंसित एकल विंडो पद्धति के तहत पंजीकरण की मंजूरी देने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विनियमन, 2000 में आवश्यक संशोधन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
53	126	कतिपय द्विपक्षीय दाताओं को उनके संसाधन निर्दिष्ट गैर-सरकारी संगठनों और अन्य देशों को अंतरित करने की अनुमति देने के लिए छोटे राहत पैकेजों के साथ राहत। जिन देशों को भारत के ऋण की भारी अतिदेय धनराशि का भुगतान करना है ऐसे अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों के लिए एक ऋण राहत पैकेज पर विचार किया जाएगा। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्र ही की जाएगी।	विदेश मंत्रालय के परामर्श से एचआईपीसी के राहत पैकेज को अन्तिम रूप दे दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।** सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता अब केवल संयुक्त राज्य अमरीका, रूसी परिसंघ, यूरोपीय आयोग, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान से ही प्राप्त की जा रही है। द्विपक्षीय विकास सहयोग की पुनः स्थापित नीति के प्रचालन हेतु दिशा-निर्देश 12 सितम्बर, 2003 को जारी किए गए थे। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
54	128	आर्थिक कार्य विभाग को पुनर्गठित किया जाएगा और इसमें आर्थिक नीति; अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विश्लेषण; पूंजी बाजार; बजट; बैंकिंग; व्यापार और सहायता की समस्याओं और आधार संरचना तथा समन्वय से संबंधित कार्य करने वाले पृथक प्रभाग होंगे।	मामला वित्त मंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति के अधीन विचाराधीन है। आशा है कि समिति वित्त मंत्रालय के पुनर्गठन संबंधी अपने सुझावों को फरवरी, 2004 के अंत तक अंतिम रूप दे देगी।
55	129	वित्त मंत्रालय को सलाह देने हेतु कृषि के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार परिषद गठित की जाएगी।	वित्त मंत्रालय को परामर्श देने के लिए कृषि संबंधी एक विशेषज्ञ सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया है। परिषद की पहली बैठक 26 सितम्बर, 2003 और दूसरी बैठक 24 दिसम्बर, 2003 को आयोजित की गई। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
56	132	भारत सरकार राज्य स्तर पर मूल्यवर्धित कर लागू किए जाने को हमारी घरेलू व्यापार कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार मानती है। यह राज्यों को भूतपूर्व बिक्री कर प्रणाली से इस समय 120 से अधिक देशों में प्रचलित एक आधुनिक घरेलू प्रणाली में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करेगी।	राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने 1 अप्रैल, 2003 से मूल्यवर्धित कर (वैट) लागू करने की अपनी वचनबद्धता की बार-बार पुष्टि की है। तथापि, निर्धारित तारीख पर ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुरूप कानूनी अपेक्षाओं और अन्य प्रक्रियात्मक एवं आधारढांचागत अपेक्षाओं, दोनों के संबंध में पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वैट को लागू करने के लिए मुख्य राजनीतिक दलों और राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
57	133	राज्यों को अधिक राजस्व सृजित करने में समर्थ बनाने के लिए राज्यों को सभी भागीदारी योग्य करों और शुल्कों का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत देना जारी रखते हुए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की सामग्रियां) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया जा रहा है, जिसकी तारीख अधिसूचित की जाएगी। यह राज्यों को वस्त्र, चीनी और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर लगाने की अनुमति देगा, जिसकी दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह राज्यों को मूल्यवर्धित कर श्रृंखला में इन तीन महत्वपूर्ण उत्पादों को एकीकृत करने में भी समर्थ बनाएगा।	राज्यों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के अपने हिस्से को प्रभावित किए बिना चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर 4 प्रतिशत की अनधिक दर पर बिक्री कर लगा सकें, वित्त अधिनियम, 2003 के द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया। इस आशय की अधिसूचना जारी न होने की वजह से अभी तक यह संशोधन लागू नहीं हुआ है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने 20 अक्तूबर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वाली मदों पर बिक्री कर लगाने का प्रश्न वैट के लागू होने से जुड़ा है और इसके लिए पहले से अधिकृत कोई कार्रवाई करने की जरुरत नहीं होगी। अतः वैट लागू होने तक इस संशोधन को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करना आस्थगित कर दिया गया है।
58	134	राजस्व के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सेवाओं पर कर लगाने में समर्थ बनाने के लिए संविधान में एक संशोधन प्रस्तावित है । यह संवैधानिक संशोधन और उसमें परिणामी विधान केन्द्र सरकार को कर लगाने की शक्ति और केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को आय संग्रहित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेंगे।	सेवाओं पर कराधान को यौक्तिक बनाने और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व वृद्धि के लिए केन्द्र द्वारा सेवाओं पर कराधान के लिए और उनसे होने वाली आय का केन्द्र और राज्यों द्वारा संग्रहण और विनियोजन के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनी सिद्धान्तों के अनुसार अधिकार प्रदान किए जाने हेतु संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। सेवा कर विधेयक के लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है और राज्यों के साथ परामर्श करने के पश्चात यह विधेयक संसद में लाया जाएगा।
59	135	मूल्यवर्धित कर के लागू होने से अब केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूर्ण लक्ष्य आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। यह एक ही चरण में नहीं किया जा सकता। पहली बार में पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की उच्चतम दर वर्ष 2003-2004 के दौरान अधिसूचित की जाने वाली तारीख से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी। भारत सरकार केन्द्रीय बिक्री कर की इस कमी को राजस्व हानि के लिए राज्यों की प्रतिपूर्ति	मूल्यवर्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर की अक्षमता को देखते हुए पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर में 2 प्रतिशत की कटौती किए जाने हेतु वित्त अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 162 द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया गया है। चूंकि यह मुद्दा मूल्यवर्धित कर लाए जाने से संबंधित है अतः इस संशोधन को लागू किए जाने की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		करेगी। राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ सहमति होने के बाद ही यह सभी उपाय किए गए हैं, अतः इसे किया जाएगा।	
60	151	(क) स्थायी लेखा संख्या (पैन) के आबंटन और कर सूचना नेटवर्क के माध्यम से उच्च मूल्य के लेन-देनों का डाटा बैंक सृजित करने जैसे कार्यकलाप बाहरी स्रोत से करना।	(क) (i) पैन कार्ड जारी करने संबंधी सेवाएं पहले ही बाहरी स्रोत यूटीआई-आईएसएल को सौंप दी गई हैं। यूटीआई-आईएसएल ने पैन आबंटन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी शहरों में पैन सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।** (ii) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) के साथ मिलकर कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। स्रोत पर कर कटौती की विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जाने संबंधी स्कीम अधिसूचित कर दी गई है। स्रोत पर कर कटौती की विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31.1.2004 कर दी गई है। एनएसडीएल द्वारा संभाले जाने वाले विस्तृत कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है। (iii) कर सूचना प्रणाली के अन्य घटकों नामतः ऑन लाईन कर लेखाकरण प्रणाली (ओएलटीएएस) और वार्षिक सूचना विवरणी के डिजिटलीकरण को 1.4.2004 से शुरू करना निर्दिष्ट किया गया है।
		(ख) संवीक्षा के लिए विवरणी के चयन की वर्तमान विवेक आधारित प्रणाली को तत्काल समाप्त करना, इसे वार्षिक रूप से केवल 2 प्रतिशत विवरणियों के यादृच्छिक, कम्प्यूटर जनित, सूचना चयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;	(ख) विवेक-आधारित संवीक्षा की पुरानी प्रणाली पहले ही समाप्त कर दी गयी है। संवीक्षा हेतु मामलों के कम्प्यूटर की सहायता से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर ली गई है और जारी कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		(ग) विवरणियां तैयार करने के लिए अधिक नगरों में सक्रिय ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली और सॉफ्टवेयर के विस्तार सहित करदाता सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार करना;	(ग) विवरणियों की तैयारी हेतु **संपर्क** नामक एक साफ्टवेयर पहले ही जारी किया जा चुका है और चार और शहरों नामतः अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद एवं पुणे में इसका विस्तार किया जा रहा है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		(घ) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से सभी वापसियों को करदाता के बैंक खाते में सीधे जमा करना (यदि करदाता बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करता है)।	(घ) यह योजना राजकोषीय नियमों व लेखाकरण प्रक्रियाओं में संशोधन के पश्चात् 13 शहरों में प्रचालन में आ जाएगी।
		(ङ) कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ इस समय आवेदन, विवरणी आदि प्रस्तुत करने में प्रयुक्त फार्मों की संख्या 42 से कम करके 22 पर लाकर करदाता की अनुपालन लागत कम करना।	(ङ) स्रोत पर कर कटौती और कर संग्रहण के मामले में उपयोग में आने वाले फार्मों की संख्या घटाकर 17 कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
		(च) वेतन, गृह संपत्ति और ब्याज आदि से आय करने वाले व्यष्टि कर दाताओं के लिए केवल एक पृष्ठ की विवरणी फार्म तत्काल प्रारंभ करना।	(च) वेतन, मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले वैयक्तिक करदाताओं हेतु "नया सरल" की एक पृष्ठ वाली विवरणी शुरू की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		(छ) विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में समर्थ बनाने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित किया जाना है;	(छ) वित्त अधिनियम, 2003 के माध्यम से आयकर अधिनियम में पहले ही संशोधन कर दिया गया है ताकि विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने का काम किया जा सके। यह योजना सात शहरों में प्रचालन में है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		(ज) भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति अथवा सरकारी ठेके के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए इस समय आवश्यक कर-अदा करने संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति।	(ज) वित्त अधिनियम, 2003 के माध्यम से आयकर अधिनियम में पहले ही आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
		(झ) तलाशी और जब्ती तथा आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्रयुक्त कार्यविधियों को सरल बनाना।	(झ) आयकर विभाग द्वारा तलाशी व जब्ती के दौरान तथा सर्वेक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तरीकों के सरलीकरण हेतु अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
61	**185.**	सीमा शुल्क निकासी संबंधी हमारी प्रणालियों को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के समतुल्य बनाने के लिए, इसी वर्ष आयातकों तथा निर्यातकों के लिए एक स्व-मूल्यांकन योजना आरम्भ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आयातक स्वयं ही वस्तुओं के वर्गीकरण का निर्धारण करेगा/करेगी, जिसमें छूट संबंधी किसी लाभ हेतु दावा भी शामिल होगा, तथा इस प्रणाली द्वारा उसके घोषणापत्र के आधार पर शुल्क का परिकलन किया जाएगा। आयातित वस्तुओं का वास्तविक निरीक्षण सीमा शुल्क जांच कर्मचारियों के आदेश पर नहीं बल्कि कंप्यूटर-आधारित प्रणाली के अनुसार जोखिम-मूल्यांकन तथा प्रबंध तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयात दस्तावेजों की समवर्ती लेखापरीक्षा की मौजूदा प्रणाली की जगह निकासी-पश्च लेखापरीक्षा लाई जाएगी, जैसा कि विकसित देशों में प्रचलित है।	चुनिन्दा मदों के आयात/निर्यात के लिए तीन सीमाशुल्क स्टेशन, नामतः एयर कार्गो काम्प्लेक्स; मुम्बई, चेन्नई समुद्रपत्तन तथा आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर एक न्यास आधारित सीमाशुल्क निकासी प्रणाली, त्वरित सीमाशुल्क निकासी प्रणाली (ए.सी.एस) आरम्भ की गई है। इसमें आयातकों/निर्यातकों द्वारा की गई घोषणाओं को स्वीकार करने की व्यवस्था है तथा ऐसी घोषणा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली ए.सी.एस. में शामिल आयातों/मदों के लिए आकलन की विद्यमान पद्धति के स्थान पर आकलन का कार्य करेगी। इन वस्तुओं की प्रत्यक्ष जांच नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आई.सी.डी., तुगलकाबाद, नई दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर जोखिम प्रबंध कार्यपद्धति (आर एम एम) के अधीन शत प्रतिशत स्व-मूल्यांकन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर जोखिम घटकों के मूल्यांकन के पश्चात विशिष्ट निर्देश देगा कि क्या माल की निकासी बगैर जांच के की जानी चाहिए अथवा जांच आवश्यक है तथा कितने प्रतिशत की जांच आवश्यक है। जोखिम प्रबंध कार्यपद्धति को दिनांक 31.3.2004 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। निविदाएं पहले ही जारी कर दी गई हैं । इस कार्य पद्धति को निकासी पश्च लेखापरीक्षा पद्धति के साथ भी एकीकृत किया जाना है। यह आशा की जाती है कि यह पद्धति दिनांक 30.9.2004 तक सभी सीमा-शुल्क ईडीआई केन्द्रों में लागू कर दी जाएगी।